[2011] 11 एस.सी.आर. 197

अजय कुमार दास

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 1735)

6 सितंबर, 2011

[डा मुकुन्दकम शर्मा और अनिल आर. दवे, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973;

धारा 482 - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका

- अपीलकर्ता की पत्नी की मृत्यु - मृतक के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट कि उसके ससुर और सास ने अपीलकर्ता से बात करने के बाद पीड़िता को कुएं में धकेल दिया - मामले में दायर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया - पति द्वारा दायर याचिका (पति द्वारा दायर की गई याचिका इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए कि उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था। उच्च न्यायालय द्वारा खारिज - **निर्णय**: शिकायत और एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच की जानी आवश्यक है - अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया है जिसमें यह भी कहा गया है कि आईपीसी की धारा 304-बी के तहत एक मामला बनता है - अपीलकर्ता के पास आरोप तय करने के समय कोर्ट के समक्ष अपना मामला रखने का पर्याप्त अवसर होगा - इस स्तर पर पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है - दंड संहिता, 1860 - एस.304-बी/34.

मृतका के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी को उसके ससुर और सास ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और 29.9.2006 को अपीलकर्ता, मृतका के पति से टेलीफोन पर बात करने के बाद उन्होंने उसकी मृत्यु कर दी। उसके बाद आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया था, अपीलकर्ता ने सी.आर.पी.सी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी कि उसके खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता है धारा 304-बी 'आइ.पी.सी के तहत । हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इससे व्यथित मृतका के पति ने अपील दायर की।

अपील को खारिज करते हुए कोर्ट

निर्णय 1.1 प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक आरोप है कि दो अन्य आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् अपीलकर्ता के माता-पिता, ने टेलीफोन पर उससे बात करने के बाद पूर्व-निर्धारित तरीके से मुखबिर की बेटी को कुएं में धकेलकर मार डाला। उक्त आरोप का हवाला देकर प्रतिवाद करने की मांग की गई है अपीलकर्ता को कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए दिनांक 19-11-2006 के एक दस्तावेज के लिए। उक्त नोट में, जिसे पुलिस अधीक्षक को भेजा गया था, यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता के बयान के अनुसार, उसकी पत्नी (मृतक) कुएं के अंदर गिर गई थी। उपर्युक्त दस्तावेज बचाव की प्रकृति का है और हो सकता है संबंधित न्यायालय द्वारा उचित स्तर पर विचार किया गया। उन्होंने केस डायरी में दिए गए कुछ बयानों का भी हवाला दिया ताकि इस रुख को सही ठहराया जा सके कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इस स्तर पर, आरोप की जांच की जानी अपेक्षित है। [पैरा 11] [204-बी-एफ.]

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1990 (3) पूरक एससीआर 259 = 1992 पूरक '। 1 एससीसी 335; शांति और एक और वी। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और एससीआर 675-एआईआर 1991 एससी 1226; **महबूब शाह बनाम राजा सम्राट** (1945) 72 भारतीय अपील 148; **बेंगई मंडल उर्फ बेगई मंडल वि. बिहार राज्य** 2010 (1) एससीआर 439 = (2010) 2 एससीसी 91 - संदर्भित है।

1.2. अभिलेखों से पता चलता है कि गाय, मोटर साइकिल और अन्य सामान देने की मांग कि गई थी। इन सभी आरोपों को अदालत द्वारा विभिन्न चरणों में निपटाया जाएगा, जिसके लिए अपीलकर्ता को स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। यह वह चरण नहीं है जब न्यायालय तथ्यात्मक स्थिति की जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपीलकर्ता आरोपों का दोषी है या नहीं। अपीलकर्ता के पास आरोप तय करने के समय अदालत के समक्ष अपना पूरा मामला रखने का पर्याप्त अवसर होगा क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, जिसमें यह भी कहा गया है कि धारा 304 बी और धारा 34 के तहत एक मामला बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ने पर और अपीलकर्ता की केस फाइल में उपलब्ध सामग्री, के आधार पर न्यायालय की सुविचारित राय है कि पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है। अपीलकर्ता को आरोप तय करने के समय कानून के अनुसार अपने सभी बचाव को उठाने की स्वतंत्रता है और उस स्तर पर अदालत रिकॉर्ड पर सामग्री के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करेगी और कानून के अनुसार मामले का फैसला करेगी। **[पैरा 12] [204-जी-एच; 205-ए-डी]**

केस लॉ संदर्भ:

1990 (3) पूरक एस.सी.आर. 259	**संदर्भित**	**पैरा 10**
(1945) 72 भारतीय अपीलें 148	**संदर्भित**	**पैरा 8**
2010 (1) एस.सी.आर. 439	**संदर्भित**	**पैरा 9**
1990 (2) पूरक एस.सी.आर. 675	**संदर्भित**	**पैरा 7**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1735।

2007 के सीआर.एम.पी. संख्या 1347 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.8.2009 से।

उपस्थित पक्षों के लिए तापेश कुमार सिंह, कृष्णानंद पांडेय, अमरेंद्र कुमार चौबे, अंभोज कुमार सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

निर्णय

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19 अगस्त, 2009 के आदेश के विरुद्ध है जिसमें उसे खारिज कर दिया गया था। जिसमें अपीलकर्ता द्वारा यहां दायर याचिका में 2006 के बालूमठ पी.एस. केस नंबर 68 (2006 के जीआर केस नंबर 445 के अनुरूप) की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 बी के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया था।

3. सूचनादाता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की कि उसकी बेटी की शादी वर्ष 2002 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अपीलकर्ता से हुई थी और उसके विवाह के समय, सूचनाकर्ता ने पर्याप्त दहेज दिया था। उसमें यह कहा गया था कि मुखबिर की बेटी ने ससुर और सास द्वारा उसके साथ की गई यातना के बारे में अपने पति, वर्तमान अपीलकर्ता से शिकायत की, जिसने कथित तौर पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह भी आरोप लगाया गया था कि 29 सितंबर, 2006 को ससुर और सास ने आरोपी से टेलीफोन पर बात की और एक सुनियोजित साजिश में मुखबिर की बेटी की मौत हो गई। उक्त सूचना प्राप्त होने पर मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद, 14 अप्रैल 2007 को एक आरोप पत्र दायर किया गया था। मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेते हुए 17 अप्रैल 2007 को एक आदेश भी पारित किया गया था जिसका वर्तमान मामले में भी विरोध किया गया है। अपीलकर्ता को 10 अप्रैल 2007 को उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी।

4. उपरोक्त आरोप पत्र प्रस्तुत करने और संज्ञान लेने संबंधी आदेश पारित करने के बाद, । अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें उपरोक्त तरीके से कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई। उच्च न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया और तत्पश्चात् यह निर्णय दिया कि मामला दहेज हत्या का मामला है और यह कि अपीलकर्ता पति है। यह भी माना गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदु बचाव का मामला हैं और यह तथ्यात्मक विवाद से संबंधित है। न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल** मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया। 1 एससीसी 335 और कानून की स्थापित स्थिति के लिए भी कि की वास्तविकता आरोप/आरोप एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस तरह के तथ्यात्मक विवाद में नहीं जा सकता है ताकि कार्यवाही को रद्द किया जा सके।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि अपीलकर्ता के खिलाफ न तो धारा 304बी के तहत और न ही भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत कोई मामला बनता है, क्योंकि उनके अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलकर्ता के खिलाफ विशेष रूप से ऐसा कोई आरोप नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि संज्ञान लेने का आदेश गलत है और मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का प्रयोग न करने का खुलासा किया है, क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका था। उन्होंने हमें केस डायरी की विषय-वस्तु भी दिखाई, जिसमें उनके उपरोक्त कथन को प्रमाणित करने के लिए सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।

6. हालांकि, उत्तरदाताओं के लिए पेश होने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि यह वह चरण नहीं है जब इस न्यायालय को रिकॉर्ड पर सामग्री के संबंध में तथ्यात्मक जांच शुरू करनी चाहिए। हमें यह भी बताया गया है कि वास्तव में अपीलकर्ता के पास उस स्तर पर भी

इतना प्रभावी अवसर होगा जब आरोप तय किए जाते हैं। वकील यह भी प्रस्तुत करता है कि कानून के कुछ अन्य प्रावधानों के तहत आरोपों को बदलना और आरोप तय करना संभव है और इसकी अनुमति भी है यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि अन्य धाराओं के तहत इस तरह के आरोप तैयार करने के लिए सामग्री भी है रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।

7. पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले वकील को सुनने के बाद, हम **शांति और अन्य बनाम भारत संघ** में इस न्यायालय के एक निर्णय का उचित रूप से उल्लेख कर सकते हैं। हरियाणा राज्य ने एआईआर 1991 एससी 1226 में रिपोर्ट किया है। इस न्यायालय द्वारा उस मामले में धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज हत्या का मामला और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के मामले पर भी विचार किया गया था। पूर्वोक्त प्रावधानों से निपटते हुए, इस न्यायालय ने माना है कि दो खंड बी परस्पर अनन्य नहीं हैं। यह भी माना गया कि धारा 304 बी के तहत आरोपित और बरी किए गए व्यक्ति को धारा 498 ए के तहत बिना किसी आरोप के दोषी ठहराया जा सकता है, अगर ऐसा कोई मामला बनता है। हालांकि, इस न्यायालय ने यह जोड़ने में जल्दबाजी की कि तकनीकी दोषों से बचने के लिए ऐसे मामलों में दोनों धाराओं के तहत आरोप तय करना आवश्यक है और यदि मामला स्थापित हो जाता है तो उन्हें दोनों धाराओं के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन धारा 304 बी के तहत प्रमुख अपराध के लिए दी जा रही मूल सजा के मद्देनजर धारा 498 ए के तहत अलग से सजा देने की आवश्यकता नहीं है। उस निर्णय में, इस न्यायालय ने धारा 304 बी आईपीसी और धारा 498 ए आईपीसी के दायरे और दायरे पर विचार किया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के उपबंधों का भी उल्लेख किया गया था। यह माना गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में कहा गया है कि यदि मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला को दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है तो न्यायालय यह मानेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की है। यह भी माना गया था कि इस धारा के प्रयोजन के लिए 'क्रूरता' का अर्थ धारा 498A में पाई गई भाषा से एकत्र किया जाना चाहिए और उस धारा के अनुसार 'क्रूरता' का अर्थ है 'कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जो

महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट या जीवन के लिए खतरा पैदा करने की संभावना है, महिला के अंग अथवा स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) अथवा महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की किसी गैर-कानूनी मांग को पूरा करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से किया गया हो अथवा जारी है ऐसी मांग को पूरा करने में उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा विफलता का लेखा-जोखा।

8. हमारा ध्यान **महबूब शाह बनाम राजा सम्राट (1945)** 72 भारतीय अपील 148 के निर्णय की ओर भी आकर्षित किया जाता है। उक्त निर्णय में, यह माना गया था कि धारा 34 की सहायता का आह्वान करने के लिए आईपीसी विशेष रूप से यह दिखाया जाना चाहिए कि आपराधिक कृत्य के खिलाफ शिकायत की गई थी जो आरोपी व्यक्तियों में से एक द्वारा किया गया था सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में और यदि यह दिखाया जाता है तो अपराध के लिए दायित्व किसी भी व्यक्ति पर उसी तरीके से लगाया जा सकता है जैसे कि कृत्यों द्वारा उसे अकेला किया गया था यह आगे कहा गया कि यह असंभव नहीं तो मुश्किल है किसी व्यक्ति के इरादे को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना; ज्यादातर मामलों में यह उसके कार्य या आचरण या मामले की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना चाहिए।

9. यह न्यायालय **बेंगई मंडल उर्फ बेगई मंडल बनाम भारत संघ** के फैसले में। बिहार राज्य ने इसकी सूचना दी) (2010) 2 एससीसी 91 ने इस न्यायालय के कुछ संबद्ध निर्णयों का उल्लेख करने के बाद माना कि आईपीसी की धारा 34 के संबंध में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और सामान्य इरादे का अस्तित्व तथ्य का प्रश्न है। यह माना गया था कि चूंकि इरादा मन की एक अवस्था है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना या प्राप्त करना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल है इरादा और, इसलिए, ज्यादातर मामलों में अदालतों को पार्टी के कार्य या आचरण या मामले की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से इरादे का अनुमान लगाना पड़ता है।

10. अपीलकर्ता के लिए उपस्थित वकील ने भी उसी निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में भरोसा किया गया है, अर्थात **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल** और अन्य का मामला 1992 अनुपूरक 1 अनुच्छेद 335. में रिपोर्ट किया गया था। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने माना कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग कब किया जा सकता है या किया जाना है, इस बारे में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश या स्पष्ट नियम बनाना संभव नहीं है। हालांकि, इस न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची दी, जिसमें इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 103 में, इस न्यायालय ने, हालांकि, चेतावनी के एक नोट के रूप में इसे जोड़ने के लिए जल्दबाजी की यह कहा जाना चाहिए कि एक अपराधी को खत्म करने की शक्ति कार्यवाही का प्रयोग बहुत संयम से और सावधानी से किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में न्यायालय के लिए जांच शुरू करने में न्यायसंगत नहीं होगा प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मर्जी या मनमौजी के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र नहीं देती हैं।

11. उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा उठाए गए तर्कों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान मामले के तथ्यों में रद्द करने का मामला बनता है या नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि दो अन्य अभियुक्तों नामत ईश्वर दास और उसकी पत्नी सुनीता देवी ने पूर्व निर्धारित तरीके से टेलीफोन पर वर्तमान अपीलकर्ता से बात करने के बाद मृतक की बेटी बिमला देवी को कुएं में धक्का देकर मार डाला। अपीलकर्ता के लिए पेश होने वाले वकील भी कमांडिंग ऑफिसर द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 19 नवंबर, 2006 को जारी किए गए दस्तावेज डी का हवाला देते हुए उक्त आरोप का प्रतिवाद करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक को भेजे गए उक्त नोट में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता के बयान के अनुसार उसकी पत्नी बिमला देवी कुएं

के अंदर गिर गई थी। उपर्युक्त दस्तावेज बचाव की प्रकृति का है और उपयुक्त न्यायालय द्वारा उचित स्तर पर देखा जा सकता है और अभी नहीं। इस चरण पर हमें शिकायत और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को देखने की आवश्यकता है। उन्होंने केस डायरी में दिए गए कुछ बयानों का भी उल्लेख किया ताकि इस रुख को सही ठहराया जा सके कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

12. हालांकि, हम इस स्तर पर उक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि हम पाते हैं कि गाय, मोटर साइकिल और अन्य सामान देने की मांग थी। इन सभी आरोपों को न्यायालय द्वारा अलग-अलग चरणों में निपटाया जाएगा, जिसके लिए अपीलकर्ता को स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। हमारी सुविचारित राय में, यह वह चरण नहीं है जब न्यायालय तथ्यात्मक स्थिति की जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि आवेदक आरोपों का दोषी है या नहीं। अपीलकर्ता; हमारी सुविचारित राय में, जगह देने का पर्याप्त अवसर होगा के निर्धारण के समय न्यायालय के समक्ष उसका पूरा मामला चूंकि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए यह भी माना जाता है कि धारा 304 बी और धारा 34 के तहत मामला बनता है। हम इस स्तर पर उन पर किसी भी चर्चा के लिए तथ्यात्मक विवरण में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह अपीलकर्ता के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि, सुविचारित राय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ने के और सामग्री जो अपीलकर्ता की केस फाइल में उपलब्ध है कि कोई मामला नहीं बनता है ताकि पूरी कार्यवाही को रद्द करें। इसलिए, अपीलकर्ता के लिए पेश होने वाले वकील के तर्क को खारिज करते हुए, जहां तक कार्यवाही को रद्द करने का संबंध है, हम उसे आरोप तय करने के समय कानून के अनुसार उसके लिए उपलब्ध सभी बचाव को उठाने की स्वतंत्रता देते हैं और उस स्तर पर न्यायालय रिकॉर्ड पर सामग्री के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर भी उचित रूप से विचार करेगा परिपे्रक्ष्य और कानून के अनुसार मामले का निर्णय लें। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यहां हमारे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को किसी भी तरह से हमारी टिप्पणियों

के रूप में नहीं माना जाएगा या मामले की योग्यता या अपीलकर्ता के बचाव के संबंध में विचार।

13. इसके संदर्भ में, हम अपील को खारिज करते हैं, लेकिन अपीलकर्ता को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22 अक्तूबर 2010 के इस आदेश के तहत दी गई अगली कार्यवाहियों पर लगी रोक हटा ली गई है।

आर.पी. अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।